पत्रांक–.......192.........../उपा0

बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001

अत्यावश्यक
अविलंब

प्रेषक,

अनिल कुमार सिन्हा,
भा0प्र0से0(से0नि0),
उपाध्यक्ष

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
–सह–
अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ।

पटना,दिनांक–..13/5/......2015

विषयः– भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलों के विभिन्न स्थानों में नागरिकों की जान–माल की सुरक्षा के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार की भूकंप से संवेदनशीलता को देखते हुए **प्राथमिकता के आधार पर** तत्काल जन जागरूकता (public Awareness) का अभियान प्रारंभ करने की आवश्यकता है जिससे जान–माल की क्षति को यथासंभव कम किया जा सके ।

हाल में दिनांक 25/26.04.2015 एवं 12.05.2015 को आये भूकंप से अपने राज्य में भी व्यापक जन–धन की हानि हुई है। कुछ क्षति तो गैर जानकारी अथवा जानकारी के बावजूद बदहवासी के कारण भी हुई है जबकि प्रशासनिक स्तर पर आपके सहयोग से वर्ष 2012 से ही प्रत्येक वर्ष 15–21 जनवरी (आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 125 दिनांक 13.01.2012) की अवधि में **भूकंप सुरक्षा सप्ताह** मनाया जाता रहा है।

प्राधिकरण द्वारा इस दौरान किये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको भेजता रहा है और आपदा प्रबंधन विभाग, कार्यक्रमों के लिए जिलों को निधि भी उपलब्ध कराता रहा है। इन प्रयासों के कारण कुछ अच्छे परिणाम भी आये है, विशेष कर शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के बीच। पुनः विगत एक पक्ष के अंदर दो–दो बार आये भूकंप के कारण, इसकी पुनरावृत्ति सघन रूप से किये जाने की आवश्यकता है। जिलों को भेजने हेतु **अतिरिक्त निधि के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध किया जा रहा है।**

अतः प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सघन अभियान चलाये जाने की आवश्यकता को देखते हुए निम्नांकित स्थानों को लक्ष्य (Target) किया जाय एवं do's & don't के पोस्टर/होर्डिंग लगाया जायः–

1. सभी सरकारी कार्यालयों एवं संस्थान (पंचायत स्तर तक)
2. सिनेमाघरों (NDMA, नई दिल्ली के लघु फिल्मों का अनिवार्य प्रदर्शन जिसकी आपको पूर्व में सी0 डी0 उपलब्ध करायी गयी है) .
3. रेलवे स्टेशन
4. बस स्टैण्ड
5. हवाई अड्डा

6. सभी शिक्षण संस्थान (उच्च माध्यमिक, प्राथमिक विद्यालय, सभी बालक/बालिकाओं के छात्रावास) कॉलेज/महाविद्यालय
7. हॉस्पीटल– जिला, अनुमंडल, PHCs, Addl PHCs
8. शॉपिंग मॉल्स/बाजार परिसर
9. हाट–बाजार
10. प्रमुख चौराहों
11. नगर निगम/नगर पालिकाएं
12. पंजीकृत संस्थाओं के द्वारा आपदा से सुरक्षा पर जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से नुक्कड़ नाटकों द्वारा प्रचार–प्रसार
13. N.G.O/ civil society के द्वारा प्रचार–प्रसार
14. मंदिर, मस्जिद/गुरूद्वारा
15. पोस्ट ऑफिस/बैंक
16. रजिस्ट्री कार्यालय

इन स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग कार्यावधि के समय उपलब्ध रहते हैं जिससे इन जगहों पर लोगों को सुरक्षा हेतु जागरूक करना और भी आवश्यक है। **जागरूकता संबंधी National Disaster Management Authority, नई दिल्ली द्वारा बनायी गई लघु फिल्मों की सी0डी0 पूर्व में ही** सभी जिलों को भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त बड़ी मात्रा में भूकंप से संबंधित IEC सामग्रियों को जिलों में भेजा गया अथवा उठाव हेतु अनुरोध किया गया है। **कई जिलों ने अभी तक DRR Calender 2015 एवं IEC सामग्रियों को बार–बार स्मार के बावजूद प्राधिकरण कार्यालय से उठाव नहीं किया है।** जिन्होंने उठाव किया है और **यदि उन्हें विशेषकर भूकंप से संबंधित पोस्टरर्स की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो उसका तुरंत उठाव प्राधिकरण कार्यालय से सुनिश्चित करेगें ।**

इसके अतिरिक्त do's & don't के बड़े–बड़े पोस्टर शहर, के प्रमुख चौराहों पर एवं प्रमुख स्थानों में लगाया जाना आवश्यक है जिससे लोग इसे ढंग से पढ़ कर उसके अनुसार व्यवहार करें और अपने को सुरक्षित करें ।

अभी शिक्षण संस्थानों में संभवतः अवकाश होगा, परंतु सभी सरकारी कार्यालयों में do's & don't के अनुसार मॉक–ड्रिल भी कराया जाय क्योंकि जब सरकारी कर्मचारी/पदाधिकारी ही इस ओर जागरूक नहीं होगें तो अन्य संस्थानों में इसे लागू कराने में कठिनाई होगी ।

सरकारी कर्यालयों/संस्थानों एवं अन्य स्थानों के लिए अलग–अलग होर्डिग डिजाइन करके सॉफ्ट कॉपी प्राधिकरण के बेबसाइट www.bsdma.org पर उपलब्ध है एवं आपके औपचारिक Email पर भी भेजा जा रहा है।

कृपया इसे सर्वोच्य प्राथमिकता दी जाय एवं कृत कार्रवाई से प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

13/5/15

(अनिल कुमार सिन्हा),
उपाध्यक्ष